संख्या-126/2020/2655/26-3-2020-4(215)/90 टी.सी.।।।

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 13 अक्टूबर 2020

विषय: **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने सत्यापन लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1728/स0क0/ शिक्षा-अ/7/28/2020-21, दिनांक-06.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या-83/2020/1333/26-3-2020-4(215)/90टी0सी0-प्प्प्एदिनांक-15-06-2020 द्वारा निर्गत समय-सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) योजनान्तर्गत मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन एवं लाक करने तथा छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी।

क0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की निर्धारित समयावधि कक्षा 9–10 हेतु	कार्यवाही की संशोधित समयावधि कक्षा 9–10 हेतु
	मास्टर डाटा के सम्बन्ध में		
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आनलाइन आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	30 सितम्बर 2020 तक।	यथावत्
2	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त विद्यालयों में स्वीकृत सीटो की संख्या की प्रमाणिकता को शत–प्रतिशत ऑनलाईन सत्यापित करना।	30 अक्टूबर 2020 तक	यथावत्
	कक्षा 9–10 के अवशेष नवीन (**Fresh**) तथा नवीनीकरण (**Renewal**) के छात्र–छात्राओं हेतु।		
3	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	24 जुलाई से 12 अक्टूबर 2020 तक	24 जुलाई से 01 दिसम्बर 2020 तक
4	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 19 अक्टूबर 2020 तक	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 07 दिसम्बर 2020 तक
6	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मूल अभिलेखों से मिलान के उपरांत ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	25 जुलाई से 28 अक्टूबर 2020 तक	25 जुलाई से 14 दिसम्बर 2020 तक
7	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालय की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	05 नवम्बर 2020 तक	31 दिसम्बर 2020 तक
8	**PFMS** साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जानाएवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	29 अक्टूबर से 12 नवम्बर 2020 तक	14 दिसम्बर से 28 दिसम्बर 2020 तक
9	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, विद्यालय के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	13 नवम्बर से 25 नवम्बर 2020 तक	29 दिसम्बर से 06 जनवरी 2021 तक
10	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विलम्बतम 28 नवम्बर 2020 तक।	आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विलम्बतम 11 जनवरी 2021 तक
11	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	13 नवम्बर से 03 दिसम्बर 2020 तक	30 दिसम्बर 2020 से 14 जनवरी 2021 तक
12	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	04 दिसम्बर से 10 दिसम्बर 2020 तक	15 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2021 तक
13	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	28 दिसम्बर 2020 तक।	10 फरवरी 2021 तक
14	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	30 दिसम्बर 2020 तक	15 फरवरी 2021 तक
15	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई–पेमेण्ट (**e-payment**) के तहत **PFMS** प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	05 जनवरी 2021 तक	22 फरवरी 2021 तक

नोटः-

1- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन प्राप्त करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन वापस कर सकेगी तथा छात्र द्वारा ऐसे आवेदन को सही कराके पुनः 05 दिन के भीतर संस्था द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा दिनांक 26 जुलाई 2020 से 20 नवम्बर 2020 तक ही उपलब्ध रहेगी।

2- छात्र का आधार प्रमाणीकरण आवेदन करने के लिए अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- शासनादेश संख्या-83/2020/1333/26-3-2020-4(215)/90टी0सी0 पपप दिनांक 15 जून, 2020 की समय-सारिणी यथावत् लागू रहेगी तथा इस समय-सारिणी के अनुसार कक्षा-9 व 10 में छात्रों के आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर, 2020 तक भरे गये आवेदन पत्रों में से पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को दिनांक 26 जनवरी, 2021 की निर्धारित तिथि पर कोविड-19 की स्थिति के अनुसार शासन के निर्णयोंपरान्त पूर्व की भाँति समारोह आयोजित कर भुगतान किया जायेगा।

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में पूर्वदशम योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-126/2020/2655 (1)/26-3-2020 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/ तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।